

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—:— आदेश —:—

क्रमांक 01/एक-11-1/2008

कबीरधाम, दिनांक 15.01.2026

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(3) एवं (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सत्यभामा अजय दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) इस कार्यालय के पूर्व के आदेश क्रमांक 03/एक-11-1/2008 कबीरधाम, दिनांक 09.09.2025 को निरस्त कर सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में संस्थापित सिविल न्यायालयों, सत्र न्यायालयों के आपराधिक प्रकरणों एवं न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के वर्ष 2026 के सिविल कार्य के लिये क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित करती हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगा:—

अनु क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा), स.लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	सभी सत्र प्रकरण।
			2.	इस न्यायिक जिला में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा/पंडरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कवर्धा द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपील एवं रिवीजन।
			3.	आपराधिक प्रकरणों के संबंध में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4.	विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ।
			5.	सभी जमानत आवेदन पत्र।
			6.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7.	औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			8.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र (पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)।
			9.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न 50,00,001/—रु. (अक्षरी पचास लाख एक रुपये) से अधिक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			10.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			11.	इस सिविल जिला के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कवर्धा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा के न्यायालय के

			अति. न्यायाधीश पंडरिया के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्रियों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील।
		12.	उपरोक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीले।
		13.	धारा 25 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेकुईस प्रापर्टी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अपीले।
		14.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत अपीले।
		15.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत अपीले।
		16.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न धारा 17 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अन्तर्गत अपीले।
		17.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अन्तर्गत कबीरधाम (कवर्धा) जिला के थाना कवर्धा, चौकी बाजार चारभाठा, सहसपुर लोहारा, पिपरिया, चौकी दशरंगपुर, बोड़ला, चौकी पोंड़ी, थाना पंडरिया, पांडातराई, कुकदुर, कुण्डा एवं चौकी दामापुर से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित सभी मामले।
		18.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
		19.	अन्य विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		20.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थम अधिनियम (आरबीट्रेशन एक्ट) 1940 के अन्तर्गत आर्थिक मूल्य 10 लाख रुपये से कम के प्रस्तुत प्रकरण।
		21.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न कार्पोरेशन एक्ट एवं छ.ग. नगर पालिका एक्ट 1961 (1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
		22.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कवर्धा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश पंडरिया के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम (1961 के क्रमांक 370) की धारा 13(5) एवं 172(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
		23.	कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
		24.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम, 1804 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण।

			25.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न एबालियेशन ऑफ प्रोप्राइटरी राईट एक्ट की धारा 35 (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			26.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 20,001/- रु. (अक्षरी बीस हजार एक रुपये) से अधिक मूल्यांकन के को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			27.	रिलिजियश एवं चेरीटेब एंडोवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1937 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			28.	इन्सालवेंशी अपील।
			29.	सम्पूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 7 एवं 8 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।
			30.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 149 के अन्तर्गत अपीले।
			31.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण के लिए किये जाने वाले रु. 501/- से 1000/- रु. (अक्षरी पांच सौ एक रुपये से एक हजार रुपये) तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।
			32.	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों का विचारण जो संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न होंगे।
			33.	दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			34.	विशिष्ट राहत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद एवं अपीले।
			35.	अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
2.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कवर्धा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश	तहसील कवर्धा, स.लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 30,00,001/- रु. (अक्षरी तीस लाख एक रुपये) से 50,00,000/- (अक्षरी पचास लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	विद्युत संभाग, कवर्धा क्षेत्रांतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			4.	सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्र।
			5.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985

				के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			6.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अन्तर्गत कबीरधाम (कवर्धा) जिला के थाना चिल्फी, भोरमदेव एवं झलमला से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले।
			7.	जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये आवश्यक कार्यों को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
3.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	तहसील कवर्धा, स.लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 20,00,001/- रु. (अक्षरी बीस लाख एक रुपये) से 30,00,000/- (अक्षरी तीस लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	विद्युत संभाग, पंडरिया क्षेत्रांतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			4.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अन्तर्गत कबीरधाम (कवर्धा) जिला के थाना तरेगांव जंगल, सिंघनपुरी जंगल एवं रेंगाखार से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले।
			5.	जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये आवश्यक कार्यों को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
4.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.), कबीरधाम (कवर्धा)	तहसील कवर्धा, स.लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	इस न्यायिक जिले अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
			2.	इस न्यायिक जिले अंतर्गत संस्थापित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपील एवं रिवीजन, जमानत आदेश के विरुद्ध अपील, सुपुर्दनामा आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का निराकरण करना।
			3.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ अजा./अजजा. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र इत्यादि।
			4.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कवर्धा के प्रकरणों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अपील, पुनरीक्षण इत्यादि का अनुपालन।
			5.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कवर्धा के न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल निष्पादन एवं विविध प्रकरणों (मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान सहित) का निराकरण करना।

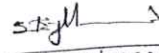
			6.	जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये आवश्यक कार्यों को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
5.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश कबीरधाम (कवर्धा)	तहसील कवर्धा, स.लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 10,00,001/- रु. (अक्षरी दस लाख एक रुपये) से 20,00,000/- (अक्षरी बीस लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल निष्पादन एवं विविध प्रकरणों (मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान सहित) का निराकरण करना।
			4.	जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये आवश्यक कार्यों को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
6.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कबीरधाम (कवर्धा)	राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	तहसील कवर्धा से उत्पन्न रु. 7,50,001/- से रु. 10,00,000/- (अक्षरी सात लाख पचास हजार एक रुपये से दस लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	तह. कवर्धा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			4.	तह. कवर्धा कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन वाद।
			5.	तह.कवर्धा नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र. 37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।
			6.	तह. कवर्धा न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			7.	तह. कवर्धा पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			8.	तह. कवर्धा धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			9.	तह. कवर्धा दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			10.	तह. कवर्धा रु. 500/- (अक्षरी पांच सौ रुपये) तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			11.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			12.	विशिष्ट राहत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त वाद।
			13.	तह. कवर्धा कंडिका 1 से 12 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।

			14.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों को निराकरण करना।
7.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा	तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	तहसील कवर्धा, बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा से उत्पन्न रु. 5,00,001/- से रु 7,50,000/- (अक्षरी पांच लाख एक रुपये से सात लाख पचास हजार रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा द्वारा निराकृत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त समस्त आदेश/निर्णय का अनुपालन एवं प्रस्तुत होने वाले विविध प्रकरण एवं निष्पादन इत्यादि का निराकरण करना।
			4.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा निराकृत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त समस्त आदेश/निर्णय का अनुपालन एवं प्रस्तुत होने वाले विविध प्रकरण एवं निष्पादन इत्यादि का निराकरण करना।
			5.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सौंपे गये आवश्यक कार्यों एवं स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
8.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा	राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	तहसील कवर्धा, बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा से उत्पन्न रु. 1/- से रु 2,50,000/- (अक्षरी एक रुपये से दो लाख पचास हजार रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			4.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन वाद।
			5.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र.37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीले।
			6.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			7.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			8.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।

			9.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			10.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न रु. 500/—(अक्षरी पांच सौ रुपये) तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			11.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			12.	तहसील बोड़ला एवं स. लोहारा से उत्पन्न कंडिका 1 से 11 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।
			13.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के अंतर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।
			14.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा निराकृत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त समस्त आदेश/निर्णय का अनुपालन एवं प्रस्तुत होने वाले विविध प्रकरण एवं निष्पादन इत्यादि का निराकरण करना।
			15.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निराकरण।
9.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश पंडरिया	तहसील पण्डरिया	1.	तहसील पंडरिया से उत्पन्न रु. 1/— से 10,00,000/— रु. (अक्षरी एक रुपये से दस लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त व्यवहार वाद से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	तह. पंडरिया भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रु. 20,000/— (अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			4.	तह. पंडरिया कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रु. 20,000/—(अक्षरी बीस हजार रुपये) तक मूल्यांकन वाद।
			5.	तह. पंडरिया न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			6.	तह. पंडरिया पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			7.	तह. पंडरिया धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			8.	तह. पंडरिया दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			9.	तह. पंडरिया रु. 500/— (अक्षरी पांच सौ रुपये) तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			10.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।

			11.	विशिष्ट राहत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त वाद।
			12.	तह. पंडरिया कंडिका 1 से 11 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।
			13.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों को निराकरण करना।
10.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा	राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	तहसील कवर्धा, बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा से उत्पन्न रु. 2,50,001/- से रु 5,00,000/- (अक्षरी दो लाख पचास हजार एक रुपये से पांच लाख रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त समस्त आदेश/निर्णय का अनुपालन एवं प्रस्तुत होने वाले विविध प्रकरण एवं निष्पादन इत्यादि का निराकरण करना।

नोट:- विभिन्न सिविल एवं आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से प्रकरण सी.आई.एस. में फाईलिंग व पंजीयन हेतु कम्प्यूटर सेंटरल फाईलिंग सेक्शन में भेजे जायेंगे।


 (सत्यभामा अजय दुबे)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कबीरधाम (कवर्धा)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—: विविध आदेश :—

क्रमांक क/एक-11-1/2008

कबीरधाम, दिनांक 15.01.2026

इस कार्यालय स्थापना पर कार्यरत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक क/एक-11-1/2008 कबीरधाम, दिनांक 09.09.2025 को निरस्त कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में अवकाश में प्रस्थान करने पर सत्र न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य एवं आपराधिक कार्य एवं अधीनस्थ अन्य न्यायालयों के सिविल कार्य उनके पदनाम के समक्ष दर्शाये गये न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा एवं साथ ही इस आदेश के अन्त में वर्णित टीप पर भी ध्यान दिया जावे :—

1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त चारों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कवर्धा के द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त पांचों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त छः की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त सातों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त आठों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
2.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कवर्धा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कवर्धा के द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.

[illegible]

[illegible]

8.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
9.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, पण्डरिया	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त चारों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
10.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा।

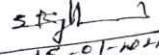
टीप : सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि जब कभी-भी वे अवकाश लेवें तो यह सुनिश्चित कर लें कि एक व्यवहार न्यायाधीश मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके स्थान पर उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यायालय (जिसे लिंक न्यायालय कहा जायेगा), न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल/आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, बल्कि यदि संभव हो तो उन मामलों की भी सुनवाई करेगा जिनमें गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आये हैं और यदि संभव नहीं हो तो उस न्यायालय की ज्यूडिशियल डायरी पर विचार करके न्यायिक अधिकारी के उपस्थित होने की तारीख से 03 दिवस के भीतर की तारीख दी जायेगी तथा आधिकारिक साक्षी को छोड़कर अन्य गवाहों को पाबंद किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के शुद्धि पत्र क्रमांक 15250/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के निर्देशानुसार अत्यावश्यक मामलों एवं जिन मामलों में गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आये हैं, के अलावा न्यायालय के सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा। यदि किसी कारण से लिंक न्यायिक अधिकारी के लिये मामले की सुनवाई करना संभव नहीं है तो उस न्यायालय के ज्यूडिशियल डायरी पर विचार करके संबंधित न्यायिक अधिकारी के उपस्थित होने की तारीख से 03 दिवस के भीतर की तारीख दी जायेगी

तथा प्रकरण जिस उद्देश्य के लिये पहले से ही सूचीबद्ध है, नियत किया जायेगा। किसी भी स्थिति में न्यायालय के रीडर द्वारा मामले स्थगित नहीं किये जायेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 15520/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 29.11.2023 के निर्देशानुसार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश) में होने पर न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण यथा 05 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल, आपराधिक एवं निष्पादन प्रकरण तथा एक्शन प्लान के प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों की सुनवाई उनके स्थान पर निर्दिष्ट अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक ऑफिसर के द्वारा की जायेगी।


(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवधा)

22